न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 28/2019 **दायरा दिनांक : 05.02.2019**

उनवान

रघुराज सिंह आयु 64 वर्ष पुत्र श्री प्रभू सिंह, जाति राव राजपूत, निवासी रहलाई, तहसील अटरू, हाल निवासी पुरानी नाकोडा कॉलोनी, तेल फैक्ट्री के पास, बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री श्याम लाल सुमन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 27.02.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 53/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.11.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री व डिक्री न्याय नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । ग्राम रहलाई, तहसील अटरू की खाता संख्या 75 की खसरा नम्बर 303 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा आराजी के खातेदार प्रभू सिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा 3/4, कल्याण सिंह पिसरान मांगीलाल, अनोख बाई पुत्री मांगीलाल हिस्सा 1/4 दर्ज रेकार्ड है, जो अपीलांट के पूर्वज थे । जिसके बाद उक्त आराजी रघुराज सिंह, प्रहालाद सिंह, हेमराज

सिंह, बृजराज सिंह, बनेराज सिंह पुत्र एवं तेजकंवर बाई, संतोष बाई पुत्रियां प्रभू सिंह हिस्सा 3/4 बराबर कल्याण सिंह पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/8 देवेन्द्र सिंह, रघुराज सिंह पुत्र कौशल कंवर बाई बेवा प्रभू सिंह हिस्सा 1/8 खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जिस पर सभी खातेदार काबिज काश्त हैं । सम्वत 2036–39 के बाद विवादित आराजी का सैटलमेंट हुआ, सैटलमेंट विभाग ने उक्त खसरा नम्बर 303 का 9 बीघा 19 बिस्वा रकबे के स्थान पर खाता संख्या 132 खसरा नम्बर 348 रकबा 1.20 हेक्टर दर्ज कर दिया, जबकि उक्त रकबा 1.20 हेक्टर के स्थान पर 1.60 हेक्टर दर्ज होना चाहिए जो रकबा दर्ज होना चाहिए उसे पुराने रकबे के अनुसार दर्ज नहीं कर 0.40 हेक्टर आराजी कम दर्ज कर दी, जबकि सैटलमेंट विभाग को रकबा कम व बेशी करने का कोई अधिकार नहीं है । अपीलांट विवादित आराजी पर पूर्व रकबे के अनुसार काबिज काश्त है । अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पूर्व रकबे के अनुसार खाता दर्ज करने की घोषणा बाबत वाद पेश किया था व इस बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा चाही । विवादित आराजी में अपीलांट व सहभागियों का हिस्सा पूर्ववत है । रकबे में कोई कमी नहीं हुई है । परन्तु सैटलमेंट विभाग ने उक्त रकबे के अंकन में गलती करते हुए 1.60 हेक्टर के बजाय 1.20 हेक्टर दर्ज कर दिया इस त्रुटि को दुरूस्त करने के लिए अपीलांट ने वाद पेश किया जो राजस्व रिकार्ड में पुराने नम्बरों के अनुसार हेक्टर में रकबा दर्ज होगा इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी ने राजस्व रिकार्ड, खाता पुराना व नया, मिलान क्षेत्रफल नक्शा, बयान गवाहान कराये । जिससे पूर्ववत खाता घोषित किया जाना न्यायोचित था । अधीनस्थ न्यायालय का केवल मात्र यह कयास गलत है । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में अपना ज्यूडिशियल माईण्ड एप्लाई नहीं कर वाद निरस्त करने में त्रुटि की है । जबकि अपीलांट ने गवाह, साक्ष्य व रेकार्ड से अपना वाद साबित कर दिया था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.11.2018 निरस्त की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई । रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित बताया ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । तहसीलदार की रिपोर्ट अस्पष्ट है, अतः स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.11.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.04.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा